न्यायालय नायब तहसीलदार उप तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

मु. नं.	दायर दिनांक	अ.धा.	निर्णय दिनांक
20 / 2021	15.07.2021	91 एल.आर.एक्ट	27.08.2021

सरकार बनाम संतोष पुत्री ईश्वरलाल जाति ब्रहमण निवासी चंवरा(हीरवाना)

27.08.2021पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीया अनुपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का मैनपुरा द्वारा संवत 2078 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के भूमि खसरा नं0 161 रकबा 1.29 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ के सम्पूर्ण रकबे पर संतोष पुत्री ईश्वरला जाति ब्रहमण निवासी चंवरा (हीरवाना) ने तारबन्दी एवं पत्थर डालकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट पटवारी हल्का मैनपुरा के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीया को वास्ते तलबी एवं जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीया द्वारा जरिये वकिल जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा अतिकमित रकबे के कब्जे के सम्बन्ध में कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं।

रिपोर्ट पटवारी हल्का एवं अप्रार्थीया जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीया द्वारा मौजा ग्राम हीरवाना पटवार हल्का मैनपुरा के भूमि खसरा नं0 161 रकबा 1.29 है0 किस्म गै0 मु0 पहाड़ के सम्पूर्ण रकबे पर किया गया अतिक्रमण अवैध होने के कारण अप्रार्थीया को अतिकमी घोषित किया जाता है। भू0 अ0 नि0 केड को इस अवैध अतिकमित भूमि पर से अतिकमी को भौतिक रूप से बेदखल कर एवं अतिकमित रकबे पर डाले गये पत्थरों को कुर्क कर निलाम करने कर फर्द निलामी एवं फर्द बेदखली पेश करने हेतु लिखा जावें।

अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिए जाने के दण्ड स्वरूप सरह लगान 1.55 का 50 गुणा तावान की कुल राशि 78/— रू मात्र बतौर शास्ती जुर्माना आरोपित किये जाते हैं। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मेरे द्वारा दिनांक 27.08.2021को सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गुढा गौड़जी

उप तहसीलदार
उप तहसील गुढ़ा गौड़जी